विविध बैंक प्रकरण संख्या 112/2019 (RCMS 2019/00189) भारतीय स्टेट बैंक, शाखाा एडीबी नई धान मंडी, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री गोविद कुमार लढा प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय–04 हनुमानगढ़ (राज.) <u>बनाम</u> <u>1.</u> श्री प्रेम कुमार पुत्र <u>2.</u> श्री मनीष कुमार पुत्रगण श्री प्रभु दयाल निवासी मकान नं. 06, के ब्लॉक, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>27.11.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए, बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी प्रेम कुमार एवं मनीष कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 22.50 लाख रूपये (अखरे रूपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 05.11.2015 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी प्रेम कुमार एवं मनीष कुमार की अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 06, के ब्लॉक, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1562.50 वर्गफीट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.11.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 03.12.2018 को 24,22,939/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 05.12.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुका है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणियों प्रेम कुमार एवं मनीष कुमार द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

रिहायशी प्लॉट नं. 06, के ब्लॉक,श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1562.50 वर्गफीट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी प्रेम कुमार एवं मनीष कुमार को 22.50/—लाख रूपये (अखरे रूपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 05.11.2015 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में श्री प्रेम कुमार एवं श्री मनीष कुमार द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 06, के ब्लॉक, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1562.50 वर्गफीट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है, प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 30.11.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 05.12.2018 जारी किया गया है। धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थी मनीष कुमार(मनीष देरासरी) के स्वयं के हस्ताक्षर है एवं प्रेम कुमार को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया है, जो SUPDT. OF POST, पोस्ट ऑफिस, श्रीगंगानगर के पत्रानुसार उसे प्राप्त हो चुका है इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति रिहायशी प्लॉट नं. 06, के ब्लॉक, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1262.50 वर्गफीट) जो श्री प्रेम कुमार एवं श्री मनीष कुमार के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 05.12.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 05.12.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण प्रेम कुमार एवं मनीष कुमार के नाम से जारी किये गये है, जिनमें मनीष देरासरी के स्वयं के हस्ताक्षर है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मनीष कुमार एव मनीष देरासरी एक ही व्यक्ति है और वह कभी मनीष कुमार के रूप में एवं कभी मनीष देरासरी के रूप में हस्ताक्षर करते है जबकि ऋण आवेदन पत्र पर मनीष कुमार के नाम से हस्ताक्षर है। बंधक सम्पत्ति के उपहार पत्र दिनांक 27.10.2015 पर मनीष देरासरी के रूप में हस्ताक्षर है। इस प्रकार मनीष कुमार/मनीष देरासरी एक ही व्यक्ति है और उसकी तामील हो चुकी है एवं प्रेम कुमार को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये नोटिस की तामील हो चुकी है परिणामस्वरूप प्रेम कुमार को भिजवाये गये नोटिस की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं SUPDT. OF POST, पोस्ट ऑफिस, श्रीगंगानगर के पत्र की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी प्रेम कुमार एवं मनीष कुमार द्वारा बंधक रखी गई उक्त

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक–शाखा एडीबी नई धान मंडी, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल** सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 06, के ब्लॉक, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1562.50 वर्गफीट) जो कि ऋणी प्रेम कुमार एवं मनीष कुमार के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर